

अनुदान संख्या 46 – गृह मंत्रालय
GRANT No. 46 - MINISTRY OF HOME AFFAIRS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित—	Charged -	2,00	..	-2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	4584,39,00		
		16803,88,00	16630,46,48	-173,41,52
पूरक	Supplementary	12219,49,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			50,00,00
पूंजीगत:	Capital:			
मूल	Original	311,40,00		
		320,68,00	310,32,76	-10,35,24
पूरक	Supplementary	9,28,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, ₹2.00 लाख का विनियोग एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

1. In the charged portion of the revenue section of the grant, appropriation of ₹2.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:—

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत - Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"			
सचिवालय- सामान्य सेवाएं	Secretariat- General Services			
मू.	O.	41599.00		
			46569.00	
पु.	R.	4970.00		
				44249.69
				-2319.31
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"			
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services			
मू.	O.	19520.00		
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	1727.50		
			21248.50	
				18891.87
				-2356.63
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"			
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare			
मू.	O.	135304.00		
			111035.00	
पु.	R.	-24269.00		
				111177.35
				+142.35
मुख्य शीर्ष "2245"	Major Head "2245"			
प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	Relief on account of Natural Calamities			
मू.	O.	109689.00		
			107046.50	
पु.	R.	-2642.50		
				103567.08
				-3479.42
मुख्य शीर्ष "2250"	Major Head "2250"			
अन्य सामाजिक सेवाएं	Other Social Services			
मू.	O.	49.00		
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	2032.00		
			2082.00	
				2079.40
				-2.60

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष मुख्य शीर्ष “2552” उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Head Major Head “2552” North Eastern Areas			
मू.	O.	3300.00
पु.	R.	-3300.00
मुख्य शीर्ष “3454” जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	Major Head “3454” Census, Surveys and Statistics			
मू.	O.	53733.00		
पू.	S.	49070.00	127759.00	123758.11
पु.	R.	24956.00		-4000.89
मुख्य शीर्ष “3601” राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3601” Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	84919.00	76647.00	76330.56
पु.	R.	-8272.00		-316.44

(I) ₹28722.00 लाख का प्रावधान सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹28302.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:—

(का) मुख्य शीर्ष “2235” —

(क) “पुनर्वास — तत्कालीन पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति — अन्य स्कीमें तथा कार्यकलाप” — ₹20002.00 लाख — जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा अधिप्रमाणित प्रस्ताव प्रस्तुत न किए जाने के कारण।

(I) Provision of ₹28722.00 lakhs remained wholly unutilised under sixteen heads; of these ₹28302.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2235” -

(a) “Rehabilitation - Displaced Persons from former West Pakistan - Other Schemes and Activities” - ₹20002.00 lakhs - due to non-furnishing of authenticated proposals by the Government of Jammu & Kashmir.

- (ख) “समाज कल्याण – प्रशिक्षण – जम्मू और कश्मीर में विशेष उद्योग पहल” – ₹5000.00 लाख – प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने तथा हितधारकों से दावे प्राप्त न होने के कारण।
- (b) “Social Welfare - Training - Special Industry initiative in J&K” - ₹5000.00 lakhs - due to non-materialization of proposals and non-receipt of claims from stakeholders.
- (खा) मुख्य शीर्ष “2552” – “जनगणना – निदेशन और प्रशासन – भारत के महारजिस्ट्रार” – ₹3300.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण।
- (B) Major Head “2552” - “Census - Direction and Administration - Registrar General of India” - ₹3300.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
- (II) मुख्य शीर्ष “3454” – “जनगणना – निदेशन और प्रशासन – महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार” – ₹5050.00 लाख के मूल प्रावधान को मार्च, 2020 में ₹2700.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹7750.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, दावे प्राप्त न होने के कारण ₹600.09 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।
- (II) Under Major Head “3454” - “Census - Direction and Administration - Improvements in Vital Statistics Systems” - the original provision of ₹5050.00 lakhs was augmented to ₹7750.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2700.00 lakhs in March, 2020 which, however, remained unutilized to the extent of ₹600.09 lakhs - due to non-receipt of claims.
- (III) मुख्य शीर्ष “2070” – “राजभाषा – अन्य स्कीम” के अंतर्गत – ₹582.47 लाख की बचत (₹2797.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (III) Under Major Head “2070” - “Official Language - Other Schemes” - saving of ₹582.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2797.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of claims.
- (IV) मुख्य शीर्ष “2235” – “अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम – अन्य कार्यक्रम – स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना” के अंतर्गत – ₹11795.84 लाख की बचत (₹93750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेंशन लाभार्थियों की संख्या में कमी होने के कारण हुई।
- (IV) Under Major Head “2235” - “Other Social Security and Welfare Programmes - Other Programmes - Swatantrata Sainik Samman Yojana” - saving of ₹11795.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹93750.00 lakhs) was due to decrease in number of Pension beneficiaries.
- (V) मुख्य शीर्ष “2245” – “सामान्य – प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, आपदा संभावित क्षेत्रों में आकस्मिकता योजनाएं” – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुई:-
- (V) Under Major Head “2245” - “General - Management of Natural Disasters, Contingency plans in disaster prone areas” - savings occurred under the following heads:-
- (का) “राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम” – ₹1997.95 लाख की बचत (₹2251.00 के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में बिल और दावे प्राप्त होने के कारण हुई।
- (A) “National Disaster Management Programmes” - saving of ₹1997.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2251.00 lakhs) was due to less receipt of bills and claims.

(खा) “राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण” – ₹763.52 लाख की बचत (₹3829.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(गा) “राष्ट्रीय आपदा मोचन बल” – ₹2583.36 लाख की बचत (₹91252.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बटालियनों के संशोधन/अतिरिक्त बटालियनों खड़ी किए जाने तथा अधिप्राप्ति प्रस्तावों हेतु प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(घा) “विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम निवारण परियोजना” – ₹1497.55 लाख की बचत (₹2619.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू अध्ययनों के प्रदेय प्रस्तुत किए जाने और व्यय को अगले वित्तीय वर्ष में अंतरित किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “3454” – “जनगणना” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “निर्देशन और प्रशासन – परिगणना” – ₹2521.48 लाख की बचत (₹10576.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) “जनगणना डेटा का कम्प्यूटरीकरण – जनगणना डेटा की प्रोसेसिंग के लिए कम्प्यूटर सिस्टम” – ₹891.59 लाख की बचत (₹2085.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डेटा केन्द्रों में कार्य की गति धीमी होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष “3601” – “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:-

(का) “अन्य प्रशासनिक अनुदान” – ₹825.02 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) “National Disaster Management Authority” - saving of ₹763.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3829.00 lakhs) was due to non-filling up vacant posts and non-receipt of claims.

(C) “National Disaster Response Force” - saving of ₹2583.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹91252.00 lakhs) was due to non-materialization of proposals for revision of battalions/raising of additional battalions and procurement proposals.

(D) “National Cyclone Risk Mitigation Project with World Bank Assistance” - saving of ₹1497.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2619.00 lakhs) was due to submission of deliverables of ongoing studies and shifting of expenditure to next financial year.

(VI) Under Major Head “3454” - “Census” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Direction and Administration - Enumeration” - saving of ₹2521.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10576.00 lakhs) was due to non-receipt of claims.

(B) “Computerization of Census Data - Computer System for Processing Census Data” - saving of ₹891.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2085.00 lakhs) was due to slow pace of work in data centers.

(VII) Under Major Head “3601” - “Other Transfer/Grants to States - Special Assistance” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Other Administration Grants” - saving of ₹825.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the State Governments.

(खा) “राहत तथा पुनर्वास अनुदान” – ₹2002.34 लाख की बचत (₹49519.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम दावे प्राप्त होने तथा त्रिपुरा में बीआरयू परिवारों के पुनर्स्थापन/पुनर्वास संबंधी नए करार के कार्यान्वयन के कारण हुई।

(गा) “आपदा तैयारी” – ₹5661.08 लाख की बचत (₹29600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रस्ताव/दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VIII) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1427.62 लाख की बचतें हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत से 71 प्रतिशत थीं।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोगों द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹28045.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नवंबर, 2019 तथा मार्च, 2020 में ₹49072.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:—

(का) मुख्य शीर्ष “2070” – विशेष जांच आयोग – एनआई के लिए अन्य अविधिक कृत्य (उन्मूलन) अधिकरण” – ₹300.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹290.47 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष “2250” – धर्म-स्थल, मंदिर आदि की देखरेख – अयोध्या में अधिगृहीत संपत्तियों की सुरक्षा तथा देखरेख” – ₹2040.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2039.08 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष “3454” –

(क) “जनगणना – निदेशन और प्रशासन – अधीक्षण” – ₹22405.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹21160.94 लाख था।

(B) “Relief and Rehabilitation Grants” - saving of ₹2002.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹49519.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the State Governments, and implementation of new agreement on resettlement/ rehabilitation of BRU families in Tripura.

(C) “Disaster Preparedness” - saving of ₹5661.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29600.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals/ claims from State Governments.

(VIII) Under four heads savings of ₹1427.62 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 21 percent to 71 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (₹28045.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹49072.00 lakhs in November, 2019 and March, 2020 under the following major heads:-

(A) Major Head “2070” - “Special Commissions of Inquiry - Other Unlawful Activities (Prevention) Tribunal for NI” - ₹300.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹290.47 lakhs.

(B) Major Head “2250” - “Upkeep of Shrines, Temples etc. - Protection and Upkeep of acquired properties at Ayodhya” - ₹2040.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2039.08 lakhs.

(C) Major Head “3454” -

(a) “Census - Direction and Administration - Superintendence” - ₹22405.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹21160.94 lakhs.

- (ख) “सर्वेक्षण और सांख्यिकी – महत्वपूर्ण सांख्यिकी – राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर” – ₹3300.00 लाख ।
- (b) “Surveys and Statistics - Vital Statistics - National Population Register” - ₹3300.00 lakhs.
- (II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-
- (II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-
- (का) मुख्य शीर्ष “2052” – “सचिवालय” –
- (A) Major Head “2052” - “Secretariat” -
- (क) “गृह मंत्रालय” – ₹1993.41 लाख का अधिक व्यय (₹38552.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेंशन वितरण मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ के लिए भर्ती, लंबित चिकित्सा दावों की स्वीकृति, एमडीसीएनएस तथा एनडीएमसी भवन के बकाया किराए, ई-ऑफिस तथा कार्यालय उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ ।
- (a) “Ministry of Home Affairs” - excess of ₹1993.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹38552.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards recruitment for pension disbursement Monitoring Cell, clearance of pending medical claims, outstanding rent of MDCNS and NDMC building, procurement of e-office and office equipments.
- (ख) “शत्रु संपत्ति का अभिरक्षण” – ₹990.57 लाख का अधिक व्यय (₹555.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय के नवीकरण तथा बकाया बिलों की स्वीकृति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ ।
- (b) “Custodian of Enemy Property” - excess of ₹990.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹555.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards renovation of office and clearance of outstanding bills.
- (खा) मुख्य शीर्ष “2070” –
- (B) Major Head “2070” -
- (क) “अन्य प्रशासनिक सेवाएं – नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम” – ₹971.86 लाख का अधिक व्यय (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 नियंत्रण मदों की अधिप्राप्ति के कारण हुआ ।
- (a) “Other Administrative Services - Civic Action Programme” - excess of ₹971.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to procurement of COVID-19 preventive items.
- (ख) “अन्य व्यय – सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के निवास पर सुरक्षा संबंधी कार्य” – ₹517.15 लाख का अधिक व्यय (₹550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बकाया बिलों की स्वीकृति होने तथा मंत्री परिषद के निवास पर सुरक्षा संबंधी कार्य के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ ।
- (b) “Other Expenditure - Security related works at the residence of Protectees” - excess of ₹517.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹550.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of outstanding bills and security related work at the residence of Council of Ministers.

(गा) मुख्य शीर्ष “2235” –

(क) “पुनर्वास ‘ भारत–पाक युद्ध 1971 से प्रभावित व्यक्तियों को राहत तथा पुनर्वास – पाक अधिकृत कश्मीर तथा छाम्ब नियाबात क्षेत्र से विस्थापित व्यक्ति” – ₹10934.43 लाख का अधिक व्यय (₹13311.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित दावों की स्वीकृति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) “अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम – अन्य कार्यक्रम – स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मुफ्त रेलवे पास” – ₹2169.26 लाख का अधिक व्यय (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय रेल तथा एयर इंडिया से लंबित दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष “2245” – “सामान्य – प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन, आपदा संभावित क्षेत्रों में आकस्मिकता योजनाएं – अन्य आपदा प्रबंधन परियोजना” – ₹1447.98 लाख का अधिक व्यय (₹1999.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्ययन के आयोजन के लिए सीडीआरआई – आपदा अनुकूल अवसंरचना संबंधी गठबंधन की स्थापना करने, कॉमन एलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) परियोजना तथा (पीसीआर) प्रायोरिटी कॉल ऑफ रूटिंग के अंतर्गत सी–डॉट को रिलीज करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(ड.) मुख्य शीर्ष “3454” – “जनगणना – निदेशन और प्रशासन – प्रकाशन” – ₹697.71 लाख का अधिक व्यय (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनगणना कार्यक्रम तथा मैनुअल आदि की प्रिंटिंग के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹1035.24 लाख) मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹928.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

(C) Major Head “2235” -

(a) “Rehabilitation - Relief and Rehabilitation of Persons affected by Indo-Pak Conflict, 1971 - Displaced persons from PAK occupied Kashmir & Chhamb Niabat Area” - excess of ₹10934.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13311.00 Lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending claims.

(b) “Other Social Security and Welfare Programmes - Other Programmes - Free Railway Passes to Freedom Fighters” - excess of ₹2169.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending claims from Indian Railways and Air India.

(D) Major Head “2245” - “General - Management of Natural Disasters, Contingency plans in disaster prone areas - Other Disaster Management Project” - excess of ₹1447.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1999.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards setting up of CDRI - Coalition on Disaster Resilient Infrastructure, for conducting studies, release to C-DOT under Common Alerting Protocol (CAP) project and (PCR) Priority Call of Routing.

(E) Major Head “3454” - “Census - Direction and Administration-Publications” - excess of ₹697.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards printing of Census schedules and Manuals etc.

4. In the capital section of the grant, the overall savings (₹1035.24 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹928.00 lakhs obtained in March, 2020 and constituted 3 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यो पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	3000.00		
			1446.00	864.15
पु.	R.	-1554.00		-581.85
मुख्य शीर्ष "4270" अन्य प्रशासनिक सेवा पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4270" Capital Outlay on other Administrative Service			
मू.	O.	5542.00		
पू.	S.	927.00	9282.00	9048.66
पु.	R.	2813.00		-233.34
मुख्य शीर्ष "4250" अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4250" Capital Outlay on Other Social Services			
मू.	O.	20798.00		
पू.	S.	1.00	19540.00	19375.71
पु.	R.	-1259.00		-164.29

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilized under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - राष्ट्रीय अग्नि सेवा कॉलेज, नागपुर" के अंतर्गत ₹2135.85 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्य - निष्पादन धीमा होने तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का इस्तेमाल न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" - "General - Construction - National Fire Service College, Nagpur" - saving of ₹2135.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to slow pace of work by the executing agencies and non-utilization of funds by Central Public Works Department.

(III) मुख्य शीर्ष “4250” – “प्राकृतिक आपदाएं – राष्ट्रीय आपदा मोचन बल” के अंतर्गत – ₹1799.44 लाख की बचत (₹15954.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹3182.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹927.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:—

(का) मुख्य शीर्ष “4070” – “निर्देशन और प्रशासन – जनगणना” – ₹2774.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2562.24 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष “4250” – “प्राकृतिक आपदाएं – राष्ट्रीय आपदा संस्थान” – ₹408.00 लाख।

(III) Under Major Head “4250” - “Natural Calamities - National Disaster Response Force” - saving of ₹1799.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15954.00 lakhs) was due to non-materialization of proposals.

5. The above savings were partly (₹3182.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by the re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹927.00 lakhs under the following major heads: -

(A) Major Head “4070” - “Direction and Administration - Census” - ₹2774.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2562.24 lakhs.

(B) Major Head “4250” - “Natural Calamities - National Institute of Disaster” - ₹408.00 lakhs.